प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

अपर मुख्य सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1.समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 01 जून, 2021

विषयः-त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में चुनाव ड्यूटी में तैनात किए गए कर्मियों को कोविड-19 से संक्रमित होने की वजह से हुई मृत्यु की दशा में अनुग्रह धनराशि का भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सामान्य पंचायत निर्वाचन-2021 में लगे कार्मिकों के निर्वाचन ड्यूटी पर मृत्यु व घायल होने की दशा में ex-gratia की धनराशि शासन के आदेश सं0-785/33-3 -2021-587/2021, दिनांक-06.04.2021 द्वारा नियत की गई है। शासन के आदेश सं0-867/33-3-2021-587/2021, दिनांक- 04.05.2021 द्वारा कोविड-19 से मृत्यु की दशा में ex-gratia की धनराशि रू.- 15 लाख से बढ़ा कर रू.-30 लाख की गई है।

2- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी निर्वाचन ड्यूटी की अवधि की परिभाषा में निर्वाचन कार्य यथा प्रशिक्षण, निर्वाचन, मतगणना व अन्य कार्य तथा इस कार्य पर घर से जाने व लौटने में लगने वाला समय ही रखा गया।

3- उक्त निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारीगण से ex-gratia भुगतान के प्रस्ताव संस्तुति सहित भेजने हेतु शासन के आदेश सं- 868/33-1- 2021-587/2021, दिनांक-08.05.2021 द्वारा अनुरोध किया गया था।

4- पंचायतीराज, निदेशालय द्वारा तैयार पोर्टल पर प्राप्त जिलाधिकारीगण के उपरोक्त विषयक प्रस्तावों तथा उनसे संबंधित अपलोड किए गए अभिलेखों का परीक्षण किया गया। परीक्षण के उपरांत निदेशालय द्वारा कोविड-19 से मृत्यु के 40 प्रस्ताव तथा नॉन कोविड-19 से मृत्यु के 34 प्रस्ताव शासन के निर्देशों के अनुसार सही पाए गए हैं। इन प्रकरणों के परीक्षण से यह स्पष्ट है कि ऐसे कर्मी जो ARO/Sector Magistrate के रूप में ड्यूटी पर लगाए गए थे उनकी कार्य अवधि चूँकि एक माह की थी वही पात्र पाए गए। पोलिंग पर्सनल जिनकी ड्यूटी 2 दिनों के लिए लगती है, उनमें Covid-19 से मृत्यु ex-gratia की पात्रता के लिए लगभग ना के बराबर है।

5- इस प्रकार सामान्य पंचायत निर्वाचन-2021 में निर्वाचन ड्यूटी में लगे कार्मिकों के मृत्यु की कुल सं0 74 बनती है तथा इन्हें ex-gratia की देय धनराशि 22.20 करोड़ है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सामान्य पंचायत निर्वाचन-2015 में निर्वाचन ड्यूटी पर मृतकों की संख्या 81 तथा ड्यूटी के दौरान विकलांगता के 3 प्रकरण थे। कोविड-19 से मृत कर्मी, जो पूर्व के निर्वाचन

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ड्यूटी की अवधि की परिभाषा में ex-gratia के लिए पात्र पाए गए हैं, उनकी संख्या 40 है। इन 40 कर्मियों के वारिसान को ex-gratia की रू.-30 लाख की धनराशि के भुगतान की संस्तुति राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र सं0-926/33-3-2021-587/2021, दिनांक 01 जून, 2021 द्वारा भेजी गयी है। उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट http://shasnadesh.up/gov.in पर अपलोड किया जा चुका है। इन कर्मियों को पुनः मग.हतंजपं हेतु इस शासनादेश के क्रम में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

6- कोविड-19 से मृत्यु की दशा में ex-gratia की धनराशि रू0 30 लाख होगी, यह निर्णय तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियत धनराशि के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लिया गया, परन्तु कोविड-19 की वजह से होने वाले infection-symptoms-hospitalization-death से संबंधित जो disease का nature और behaviour है उसे संज्ञान में लेते हुए निर्वाचन ड्यूटी की अवधि की जो परिभाषा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जो अव्यवहारिक है।

7- जनपदों से जिलाधिकारीगण द्वारा प्रेषित प्रस्तावों में भी इस तरह के प्रकरण पर मार्गदर्शन माँगा गया है कि कदाचित infection निर्वाचन ड्यूटी के समय हुआ और मृत्यु बाद की तारीख में तो क्या वे ex-gratia के पात्र होंगे। पूर्व के नियमों में इनकी पात्रता नहीं बनती है।

8- दिनांक 20.05.2021 को आयोजित टीम-9 की बैठक में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा यह निर्देश दिए गए कि राज्य कर्मी जो निर्वाचन ड्यूटी में लगाए गए थे, और जिन्हें Corona का infection हुआ और कालांतर में उनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवार को समुचित मदद निर्वाचन ड्यूटी की अवधि की जो वर्तमान परिभाषा है उसमें नहीं हो पा रही है, अतः राज्य निर्वाचन आयोग व विषय विशेषज्ञों से चर्चा कर इस विषय पर उचित कदम पंचायतीराज विभाग द्वारा उठाया जाए। राज्य सरकार compassionate ground के आधार पर निर्वाचन कार्य में लगाए गए कार्मिकों के हित में कोविड-19 के दृष्टिगत निर्वाचन ड्यूटी की अवधि की परिभाषा में संशोधन आवश्यक समझती है।

9- कोविड-19 के infection की वजह से निर्वाचन ड्यूटी पर लगे कर्मी की मृत्यु हुई इसे स्थापित करने के लिए निम्न-3 तथ्यों को ज्ञात करना महत्वपूर्ण हो जाता हैः-

(a) Date of Infection of Covid-19

(b) Date of test report regarding person being covid positive.

(c) Date of death of person due to covid-19

10- infection की तिथि, बीमारी के 90% से अधिक मामलों में asymptomatic होने की वजह से तथा बीमारी के 2-14 दिन के incubation period की वजह से ज्ञात करना लगभग नामुमकिन सा होता है। Testing व report के विषय पर अगर viral load कम है तो antigen test में बीमारी पकड़ में नहीं आती है तथा RT-PCR में भी कतिपय cases में बीमारी

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

detect नहीं हो पाती है। ऐसी परिस्थितियों में Blood Test व C.T. Scan में बीमारी का खुलासा होता है। अतः test की तिथि व test में positiveआने अथवा न आने (false positive/false negative) के chances भी रहते हैं। अतः Antigen अथवा R.T.-PCR test की तिथि को ex-gratia की पात्रता हेतु एक parameter के रूप में रखने से समाधान नहीं मिलता है। अतः Date of death of patient due to covid-19 एक conclusive व definitive parameter ex-gratia की पात्रता निर्धारण के लिए हो सकता है। वैसे भी ex-gratia मृत्यु के उपरांत ही देय है, अतः यह date सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है।

11- Lancet Journal में Published कतिपय Papers /रिपोर्टस उदाहरणतः-

(i) The natural History, Pathology and clinical manifestation of SARS-Cov-2 infections. (By jatin macthi and others)

(ii) Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatient with covid-19 in wuhan, china: a retrospective cohort study (By Zhou F and others) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि "almost-all deaths from covid-19 take place within 28 days of disease onset."

12- उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि निर्वाचन ड्यूटी की तिथि से 30 दिन के अन्दर covid-19 से मृत्यु के parameter को ex-gratia भुगतान के लिए माना जाएगा। इससे objective तरीके से लगभग सभी प्रभावित परिवारों को cover किया जा सकता है। कोविड-19 से मृत्यु के साक्ष्य के लिए Antigen /RT-PCR के +ve test report, Blood report व C.T. scan में covid-19 का infection होना मान्य होगा। कोविड-19 के patient का कतिपय परिस्थितियों में test में negative आने के बाद post-covid complication से उसकी मृत्यु हो सकती है। यह मृत्यु भी covid-19 की वजह से ही मानी जाती है। अतः इस श्रेणी के प्रकरण को 30 दिन के अन्दर मृत्यु की दशा में ex-gratia भुगतान के लिए पात्र माना जाएगा।

13- उपरोक्त पैरा-12 के प्रस्ताव पर राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-3662/ रा0नि0आ0अनु0-3/पं0नि0/2021 दिनांक 24.05.2021 द्वारा सहमति दी गई है। प्रस्ताव पर अध्यक्ष State Advisory Board on Covid-19/निदेशक, एस.जी.पी.जी.आई. द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है।

14- मृतक कर्मी के परिवारजन अथवा कर्मी के विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा URL: 52.172.201.183/P_Election/ElectionDutyExgratia पर जाकर "Apply for exgratia" पर आवेदन किया जा सकता है। आवेदक द्वारा निर्वाचन ड्यूटी आर्डर की प्रति, कोविड-19 से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संक्रमण का प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं मृतक का एक फोटोग्राफ आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा। आवेदन दिनांक 15.06.2021 सांयकाल 6.00 बजे तक किया जाएगा।

15- जिलाधिकारीगण अपने जनपद से सम्बन्धित आवेदन व उसके साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच मौके पर किसी राजपत्रित अधिकारी को भेजकर करायेंगे। उक्त सत्यापन के उपरान्त अपनी संस्तुति उक्त पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जिलाधिकारीगण प्राप्त आवेदनों का सत्यापन आवेदन प्राप्ति के साथ ही प्रारम्भ कर सकते हैं तथा सभी आवेदनों के विषय में अपनी संस्तुति दिनांक 22.06.2021 सांय 6.00 बजे तक पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

16- राज्य स्तर पर पंचायती राज निदेशालय में इस कार्य में आवेदकगण के किसी भी समस्या के निराकरण के लिए मण्डलवार अधिकारी तैनात किए गए हैं, जिनका विवरण संलग्नक-1 पर है। यह अधिकारीगण अपलोड किए जा रहे आवेदन पत्रों तथा अभिलेखों की निरन्तर जांच करते रहेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि अपलोड किया गया अभिलेख पठनीय है। यह अधिकारीगण आवेदक को फोन कर किसी दस्तावेज के अपठनीय या अपूर्ण होने पर वार्ता कर इसे दुरूस्त करायेंगे। प्रतिदिन प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या सुश्री तुहीना रॉय, नोडल अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा संकलित कर निदेशक, पंचायती राज तथा शासन को Whatsapp के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित प्रकरण में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांकः-तदैव।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4- निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संलग्नक-1

सामान्य पंचायत निर्वाचन-2021 में कोविड-19 से मृत्यु की दशा में Ex-gratia हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों के अनुश्रवण हेतु तैनात अधिकारीगण

क्र0सं0	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	अधिकारी का नाम	मोबाइल नम्बर
1	2	3	4	5
1	आगरा	आगरा	श्री अक्षय पटेल	7571995216
2		मथुरा		
3		मैनपुरी		
4		फिरोजाबाद		
5	अलीगढ़	अलीगढ़	सुश्री तुहीना रॉय	8456028305
6		एटा		
7		हाथरस		
8		कासगंज		
9	अयोध्या	अम्बेडकरनगर	श्री अश्वनी कुमार	7392005932
10		बाराबंकी		
11		फैजाबाद		
12		सुल्तापुर		
13		अमेठी		
14	आजमगढ़	आजमगढ़	डा0 प्रीति सिंह	9628359859
15		बलिया		
16		मऊ		
17	बरेली	बदायूं	श्री सुशील कुमार	7007866196
18		बरेली		
19		पीलीभीत		
20		शाहजहाँपुर		
21	बस्ती	बस्ती	श्री माहिम	9455033221
22		सन्तकबीरनगर		
23		सिद्धार्थनगर		
24	चित्रकूट	बांदा	श्री प्रभात चन्द्र अवस्थी	9026492062
25		चित्रकूट		
26		हमीरपुर		
27		महोबा		
28	गोण्डा	बहराइच	श्री रितेश शर्मा	8800690461
29		बलरामपुर		
30		गोण्डा		
31		श्रावस्ती		
32	गोरखपुर	देवरिया	श्री ओ0पी0 मणि त्रिपाठी	9450669358
33		गोरखपुर		
34		कुशीनगर		
35		महराजगंज		

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

36	झांसी	झांसी	सुश्री शिवानी	6393672087
37		जालौन		
38		ललितपुर		
39	कानपुर	औरैया	श्री संजय चौहान	8392920032
40		इटावा		
41		फर्रूखाबाद		
42		कन्नौज		
43		कानपुर देहात		
44		कानपुर नगर		
45	लखनऊ	हरदोई	श्री सन्तोष कुमार	9795401757
46		लखीमपुर खीरी		
47		लखनऊ		
48		रायबरेली		
49		सीतापुर		
50		उन्नाव		
51	मेरठ	बागपत	सुश्री सुनीता सिंह	9415444687
52		बुलन्दशहर		
53		गौतमबुद्धनगर		
54		गाजियाबाद		
55		मेरठ		
56		हापुड़		
57	मीरजापुर	मीरजापुर	मो0 तारिक	7668334590
58		सन्त रविदास नगर		
59		सोनभद्र		
60	मुरादाबाद	बिजनौर	श्री मनोज कुमार	8218000697
61		अमरोहा		
62		मुरादाबाद		
63		रामपुर		
64		सम्भल		
65	प्रयागराज	प्रयागराज	श्री जितेन्द्र कुमार	9795427200
66		फतेहपुर		
67		कौशाम्बी		
68		प्रतापगढ़		
69	सहारनपुर	मुजफ्फरनगर	श्री अजय कुमार	8920254738
70		सहारनपुर		
71		शामली		
72	वाराणसी	चन्दौली	श्री प्रशान्त कुमार	7318549130
73		गाजीपुर		
74		जौनपुर		
75		वाराणसी		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।